



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1847]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2019/ आषाढ़ 3, 1941

No. 1847]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2019/ ASADHA 3, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2019

का.आ. 2059 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 45 आई के खण्ड (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं का.आ. 615(अ) दिनांक 23 मार्च, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः—

वर्णित अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 44 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

“44.	उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी, असम	असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मणिपुर राज्य
------	---	--

[फा. सं.एस-38025/25/2010-एसएस-1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना का.आ. 615(अ) भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II की धारा 3 उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्या, दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा पिछली बार अधिसूचना संख्या का.आ. 3215 (E) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2019

S.O. 2059(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 45-I of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 615(E), dated the 23rd March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“44.	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, North Eastern Region, Guwahati, Assam	States of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland & Manipur.”.
------	--	---

[F. No. S-38025/25/2010-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 615(E), dated 23rd March, 2011 and amended lastly vide notification number S.O. 3215(E), dated 29th June, 2018.